

**बिहार सरकार,**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक- PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1-278/पटना, दिनांक- 16/4/15

**परिपत्र**

**विषय :: राज्य के नदियों/धारों/नहरों पर सेतु अथवा संरचना निर्माण के पूर्व जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में ।**

1. प्रायः यह देखा जा रहा है कि कई मामलों में अन्य विभाग/संगठनों के द्वारा जल संसाधन विभाग से सहमति प्राप्त किए बगैर स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर और कई अन्य मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही संरचना का निर्माण करा दिया जाता है। तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान एवं सुरक्षात्मक कार्यों के अभाव में ऐसी संरचनाओं के निर्माण के पश्चात् कभी-कभी बाढ़ के समय स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। साथ ही इन संरचनाओं के विपरीत प्रभाव से तटबंधों में क्षरण/कटाव भी होने लगते हैं ।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त नदियों/धाराओं एवं नहरों पर संरचनाओं अथवा पुल पुलिया के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र करने हेतु दिशा निर्देश का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है :-

- (i) नदी/धार/नहर, जिसका जलश्राव 50,000 क्यूसेक से कम हो, की स्थिति में अन्य विभागों/संगठनों के द्वारा संरचना निर्माण के लिए आवेदन जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना को दिया जायेगा। आवेदन परिशिष्ट (क) में विहित प्रपत्र में आँकड़ों में साथ दिया जायेगा। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना प्रस्तावित संरचना के जलीय आँकड़ों (Hydrological Data) एवं संरचना के General Arrangement की जाँच-पड़ताल नीचे कंडिका-2 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार करने के उपरान्त संबंधित अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
- (ii) नदी/धार/नहर के अधिकतम (रूपांकित) जलश्राव क्षमता 50,000 क्यूसेक या अधिक होने पर संरचना निर्माण करने वाले विभाग/संगठनों के द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव अपने अभियंता प्रमुख या समकक्ष के माध्यम से विहित प्रपत्र

Defu

(परिशिष्ट-‘क’) में सभी ऑकड़ों के साथ प्रतिष्ठित या मानक संस्था से Mathematical Modelling के आधार पर नदी की रूपात्मक विशेषताओं (Morphological Features) पर प्रस्तावित संरचना के कारण पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में प्रतिवेदन के साथ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना को समर्पित करना होगा। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध कंडिका-“2” में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर प्रस्ताव की जाँच करेंगे एवं जल संसाधन विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अपनी अनुशंसा करेंगे तथा संबंधित अभियंता प्रमुख विभागीय अनुमति प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।

2. दोनो श्रेणियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया निम्नांकित होगी :-

- (i) राज्य की नदियों/धारों/नहरों के उपर पुल/संरचना के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधित पूर्ण प्रस्ताव संबंधित कार्य विभाग अपने अभियंता प्रमुख या समकक्ष के माध्यम से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-क) में सभी ऑकड़ों के साथ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना को उपलब्ध करायेंगे।


प्राप्त प्रस्ताव की जाँच हेतु निम्नरूप से एक तकनीकी समिति गठित होगी :-

(क)	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, पटना	—	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य अभियंता/समकक्ष, प्रस्ताव भेजने वाले संबंधित कार्य विभाग	—	सदस्य
(ग)	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जिनके परिक्षेत्र से प्रस्ताव संबंधित हैं	—	सदस्य

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में स्थल निरीक्षण हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसमें प्रस्ताव भेजने वाले विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं जल संसाधन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता होंगे एवं यह समिति स्थलीय जाँच कर एक संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन जांच समिति को उपलब्ध करायेंगे।


- (ii) निरीक्षण प्रतिवेदन के एवं अन्य ऑकड़ों के आधार पर प्रस्ताव की जाँच की जायेगी। प्रस्ताव पर विचार हेतु बैठक बुलाये जाने पर उपर्युक्त जांच समिति के सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

3. जल संसाधन विभाग के द्वारा इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

  
 ( विपिन बिहारी मिश्र )  
 संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)


ज्ञापांक- PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1-278 पटना, दिनांक- 16/4/15

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य मंत्री सचिवालय, / महाप्रबंधक, पूर्वमध्य रेलवे जोन, हाजीपुर/प्रबंध निदेशक, पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
( विपिन बिहारी मिश्र )  
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)


ज्ञापांक- PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1-278 पटना, दिनांक - 16/4/15

प्रतिलिपि सभी कार्य विभाग के माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सभी कार्य विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं०-1/2/3 एवं बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । सभी कार्य विभागों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।

  
( विपिन बिहारी मिश्र )  
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)


ज्ञापांक- PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1-278 पटना, दिनांक- 16/4/15

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, प्रभारी कम्प्युटर कोषांग, यो० एवं मो० अं० सं०-1, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
( विपिन बिहारी मिश्र )  
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1-278 पटना, दिनांक - 16/4/15

प्रतिलिपि जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
( विपिन बिहारी मिश्र )  
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

**PROFORMA FOR SUBMISSION OF PROPOSAL**

**INFORMATION TO BE PROVIDED FOR OBTAINING "NO OBJECTION CERTIFICATE"  
(NOC) FOR CONSTRUCTION OF PROPOSED BRIDGE/STRUCTURES ON  
RIVERS / DHARS / WATER CHANNELS IN THE STATE OF  
GOVERNMENT OF BIHAR**

<b>(A) DETAILS OF STRUCTURE :</b>	
1	JURISDICTION CE., ZONE (WRD) /DISTRICT/BLOCK
2	NAME OF THE STRUCTURE
3	LOCATION OF THE STRUCTURE
4	NAME OF RIVER / DHAR / CANAL
<b>(B) HYDROLOGICAL / DESIGN DATA FOR PROPOSED STRUCTURE</b>	
1	DESIGN DISCHARGE OF RIVER / DHAR / CANAL (calculation Based on Relevant BIS/IRC Code)
2	LWL /LOWEST BED LEVEL AT (Minimum Discharge) STRUCTURES SITE
3	HFL OF RIVER / DHAR / CANAL (OBSERVED) or Derived from G.D. Curve
4	LACEY'S SILT FACTOR
5	GAUGE – DISCHARGE CURVE AT PROPOSED SITE
6	CO-EFFICIENT OF ROUGOSITY
7	GENERAL SLOPE OF THE BED OF RIVER/DHAR/CANAL
8	OBSERVED MAX. VELOCITY
9	INDEX MAP
10	GAD (GENERAL ARRANGEMENT DRAWING) MAP
11	DISTANCE BETWEEN EXISTING RIVER BANK
12	WATERWAY PROPOSED TO BE PROVIDED
13	CALCULATED AFFLUX
14	CROSS SECTION OF THE STREAM – TO BE ATTACHED
	I) AT STRUCTURE SITE
	II) 100 M C/C UPTO 1 KM U/S OF STRUCTURE : FOR IMPORTANT BRIDGES 50 M C/C UPTO 250 M U/S OF STRUCTURE : FOR STRUCTURES ACROSS CANALS/SMALL DHARS
	III) 100 M C/C UPTO 2 KM D/S OF STRUCTURE : FOR IMPORTANT BRIDGES 50 M C/C UPTO 250M D/S OF STRUCTURE : FOR STRUCTURES ACROSS CANALS/SMALL DHARS
	IV) REGIME PLAN OF RIVER : FROM 1 KM U/S TO 2 KM D/S OF THE STRUCTURE SHOWING THE POSITION OF C.S OF ITEM – 14, ..... TO BE ATTACHED.
15	PLAN AND LONGITUDINAL SECTIONAL ELEVATION OF THE PROPOSED STRUCTURE (IT SHOULD BE SUPER

	IMPOSED ON THE RIVER CROSS SECTION AT PROPOSED CONSTRUCTION SITE)	
16	TOP LEVEL OF EMBANKMENT (IF ANY) & (STRUCTURE)	
17	N.S.L. (BOTH SIDES OF BANK)	
18	COMPLETE DETAILS (WITH PLAN AND SECTION) OF THE STRUCTURES i.e., EMBANKMENTS, CANAL ETC OF THE WATER RESOURCES DEPARTMENT, GOVERNMENT OF BIHAR, IF ANY IN THE VICINITY LIKELY TO BE AFFECTED.	
(C)	JOINT INSPECTION REPORT OF THE COMMITTEE COMPRISING OF SE., WATER RESOURCES DEPARTMENT AND SE OF INDENT DEPT. FOR CONFIRMING HYDROLOGICAL AND OTHER ALLIED DATA.	After Submission of the Proposal
(A)	MATHEMATICAL MODEL TEST REPORT OF THE PROPOSED STRUCTURE TO BE SUBMITTED (FOR RIVER DISCHARGES MORE THAN 50,000 CUSECS or more)	
	The Model Test Report shall clearly mention / cover following aspects :_	
	i) Whether Waterway provided is sufficient or not ?	
	ii) Whether Afflux is in conformity with the calculated value or not ?	
	iii) The effect of the proposed structure on the Morphology of the River.	
	iv) Whether River Training works are required in the vicinity of the proposed structure; if yes, the magnitude & extent both in up-stream and down-stream of the River / Dhar.	

Executive Engineer  
or Equivalent of Executing  
Department/Organisation

Superintending Engineer  
or Equivalent of Executing  
Department/Organisation

Chief Engineer  
or Equivalent of Executing  
Department/Organisation

Engineer in Chief  
or Equivalent of Executing  
Department/Organisation